न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 36/2007 (2007/00015)

1 श्रीमति सुवा बेवा श्री छोगा
2 भागू पुत्र श्री छोगा
3 किशन पुत्र श्री छोगा
समस्त जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।
..... अपीलान्ट्स

बनाम

1 रामा पुत्र श्री रेवता
2 मोटाराम पुत्र श्री रेवता
3. श्रीमति राधा बेवा श्री लक्ष्मण
4. शेरू पुत्र श्री लक्ष्मण
समस्त जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।
5. श्रीमति सुगनी पुत्री श्री लक्ष्मण धर्मपत्नि श्री लक्ष्मण निवासी कस्तूरा तहसील किशनगढ जिला–अजमेर।
6. श्रीमति जेती बेवा श्री सुखदेव
7. श्रीमति मन्ना पुत्री श्री सुखदेव धर्मपत्नि श्री नारायण
8. काना पुत्र श्री गोधा
9. मिठू पुत्र श्री छोटू
10. श्रीमति भँवरी बेवा श्री भेरू
11. भागचन्द पुत्र श्री भैरू
समस्त जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।
12. श्रीमति सायर पुत्री श्री भैरू पत्नि श्री गोपाल गुर्जर निवासी बांसेली उपतहसील पुष्कर जिला–अजमेर।
13. श्रीमति बल्लू पुत्री श्री भैरू पत्नि श्री रामा गुर्जर निवासी चौरसियावास तहसील व जिला अजमेर।
14. श्रीमति गुड्डी पुत्री श्री भैरू पत्नि श्री नाथू गर्जर, निवासी बलदेव नगर, अजमेर।
15. श्रीमति काली पुत्री श्री भैरू पत्नि मांगीलाल गुर्जर निवासी पहाड गंज अजमेर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर। ..... रेस्पोन्डेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः 1 श्री अजीतसिंह राठौड — अभिभाषक अपीलान्ट्स
2 श्री हेमराज राठौड — राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक – 18.03.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर के खसरा नं0 780 मिन रकबा 00–10–00 बीघा किस्म चाही 2 के खातेदार श्री छोगा, रेवता व सुखदेव पि0 सरदारा 3/4 हिस्सा, भैरू व छोटू काना पि0 गोदा 1/4 हि0 सा0 देह दर्ज है। श्री रेवता पुत्र सरदारा द्वारा उक्त आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा भाई बँटवारें में उनके हिस्से में आने कारण अन्य आराजी खसरा नं0 2853 रकबा 5–5–00

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

किस्म बारानी–2 के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.11.1967 के द्वारा अपीलान्ट्स के पूर्वज श्री छोगा पुत्र श्री सरदारा को विक्रय कर कब्जा दखल दे दिया था। किन्तु रेवता के फौत होने पर उनके वारिसान द्वारा विरासती नामान्तरकरण संख्या 858 द्वारा उक्त प्रश्नगत आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली गई। तहसीलदार के इसी नामान्तरकरण संख्या 858 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4, 8, 10 से 15 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 5 से 7 एवं 9 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आयें। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई। सुनवाई दौरान प्रकट तथ्यों के प्रकाश में तहसीलदार एवं उप पंजीयक अजमेर से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट तलब की गई। 1. क्या पंजीबद्ध विक्रय पत्र सही है एवं विवादित भूमि से सम्बन्धित है। 2. प्रश्नगत आराजियात की 1960 से आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड की स्थिति राजस्व रिकार्ड/मिलान क्षैत्रफल सहित। उप पंजीयक अजमेर द्वारा प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धी पंजीबद्ध विक्रय पत्र की प्रति प्रेषित की गई। तहसीलदार अजमेर द्वारा वाछित रिपोर्ट/रिकार्ड सुनवाई दिनांक तक प्रेषित नहीं किया गया। वरवक्त बहस अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 2 ,4 एवं 8,10 से 15 उपस्थित नहीं आये। प्रकरण अत्यधिक पुराना होने से उपस्थित अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हे सुना गया।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उन्हौने कहा कि ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर के खसरा नं0 780 मिन रकबा 00–10–00 बीघा किस्म चाही 2 के खातेदार श्री छोगा, रेवता व सुखदेव पि0 सरदारा 3/4 हिस्सा, भैरू व छोटू काना पि0 गोदा 1/4 हि0 सा0 देह दर्ज था। भाई बँटवारे में उक्त आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा श्री रेवता पुत्र सरदारा के हिस्से में आने से उनके द्वारा उक्त खसरा नं0 780 की आराजी अन्य आराजी खसरा नं0 2853 रकबा 5–5–00 किस्म बारानी–2 के साथ जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.11.1967 अपीलान्ट्स के पूर्वज श्री छोगा पुत्र श्री सरदारा को विक्रय कर कब्जा दखल दे दिया। किन्तु रेवता के फौत होने पर उनके वारिसान द्वारा विरासती नामान्तरकरण संख्या 858 द्वारा उक्त प्रश्नगत आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली गई। जबकि उक्त खसरा संख्या 780 की आराजी में श्री रेवता के स्वत्व पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादन दिनांक 10.11.67 को ही समाप्त होकर अपीलान्ट्स के पूर्वज श्री छोगा में निहित हो चुके थे तथा श्री छोगा के फौत होने पर उक्त भूमि के स्वत्व अपीलान्ट्स में निहित हो चुके थे। विवादित भूमि पर दिनांक 10.11.67 से छोगा का तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कब्जे की जांच किये तथा लैण्ड रिकार्ड रूल्स 119 लगायत 121 को नजरअन्दाज कर आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 858 स्वीकृत किया गया जो कानूनन अवैध एवं शून्य होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर उक्त आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 858 दिनांक 10.8.2006 निरस्त किया जाकर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाक 10.11.67 के आधार पर अपीलान्ट्स के पक्ष में विधिसम्मत नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान फरमावें। उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जांच आक्षेपित नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जो सही है। अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

हमने उभय पक्ष के कथनो पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स का कथन है कि ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर की वर्किंग जमाबन्दी अनुसार खसरा नं0 780 मिन रकबा 00–10–00 बीघा किस्म चाही 2 के श्री छोगा, रेवता व सुखदेव पि0 सरदारा 3/4 हिस्से के तथा भैरू व छोटू काना पि0 गोदा 1/4 हि0 के खातेदार दर्ज थे। श्री रेवता पुत्र सरदारा द्वारा उक्त आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा अन्य आराजी खसरा नं0 2853 रकबा 5–5–00 किस्म बारानी–2 के साथ जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 10.11.1967, अपीलान्ट्स के पूर्वज श्री छोगा पुत्र श्री सरदारा को विकय कर कब्जा दखल दे दिया था। किन्तु रेवता के फौत होने पर उनके वारिसान द्वारा विरासती नामान्तरकरण संख्या 858 द्वारा उक्त प्रश्नगत आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली गई। हमारे द्वारा अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र दिनांक 10.11.1967 का अवलोकन किया गया। जिसमें खसरा न0 2853 रकबा 5–5–00 किस्म बारानी 02 के अतिरिक्त खसरा संख्या 787 रकबा 00–10–00 किस्म चाही 2 के विकय किये जाने का अंकन दर्ज है। जबकि अपीलान्ट्स द्वारा खसरा नं0 780 रकबा 0–10–00 बाबत दर्ज नामान्तरकरण संख्या 858 दिनांक 10.08.2006 के विरूद्ध अपील पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा जरिये दस्तावेजी साक्ष्य यह साबित नहीं किया गया कि खसरा नं0 787 के हाल खसरा नं0 780 कायम हुए है। वहीं अपीलान्ट्स द्वारा विकय पत्र दिनांक 10.11.1967 द्वारा बेचान की गई आराजी का आक्षेपित नामान्तरकरण दर्ज दिनांक 10.8.2006 तक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं करवाये जाने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनिय है कि विकय पत्र दिनांक 10.11.1967 द्वारा बेचान विवादित आराजी खसरा संख्या 787 रकबा 00–10–00 किस्म चाही 2 में विकेता का मुताबिक राजस्व रेकार्ड 1/4 हिस्सा ही निहित था। बिना विधिक बँटवारे के सम्पूर्ण खसरा/आराजी का विकय किये जाने का अधिकार विकेता को नहीं था। शायद इसीलिए प्रश्नगत विकय पत्र दिनांक 10.11.1967 द्वारा बेचान की गई विवादित आराजी का अमल दरामद तत्समय नहीं किया जा सका। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट्स की अपील को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं होने से अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner